वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 09.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनवार्ता, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 09.10.2025

वीडीए ने संदहा में अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। सारनाथ वार्ड के संदहा दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के बगल में राहुल यादव की ओर से 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बगैर लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया था, बावजूद अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त नहीं की गई। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने पुलिस बल की मदद से अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार की अगुवाई में कार्रवाई की गई।

उधर, वीडीए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडीए सभागार में शमन मानचित्रों की समीक्षा की। सील प्रकरणों की जांच, बेसमेंट खाली करवाकर पार्किंग व्यवस्था को सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। कहा कि अधिकतम 1 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण कराएं। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करें। जरूरत पड़े तो ध्वस्तीकरण कराएं। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क के मद में 2,33,995 रुपये जमा कराए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में कुल शमन धनराशि 4,01,31,418 रुपये जमा कराई गई है। जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में शमन शुल्क के मद में 12,68,487 रुपये जमा कराए गए। ब्यूरो

प्लॉटिंग ढहाती जेसीबी। संवाद

लग्जरी होटल का मानचित्र 5 दिन में पास

वाराणसी। वीडीए ने लग्जरी होटल के मानचित्र को स्वीकृति दी। शहर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च श्रेणी का होटल विकसित होगा। शिवपुर राजातालाब के मंजारगंज में बनने वाले होटल का मानचित्र ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपीएएस) के माध्यम से पांच दिन में स्वीकृत हुआ। 38.31 मीटर ऊंचाई वाले भवन में डबल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं बहुमंजिला संरचना का प्रावधान किया गया है। भवन में 151 कार पार्किंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। 4544.38 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्माण होगा। परियोजना से क्षेत्र में आधुनिक होटल सुविधाओं का विकास होगा। पर्यटन, रोजगार और नगरीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 09.10.2025

4000 वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

वाराणसी : वार्ड-सारनाथ के रिंग रोड संदहा में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के बगल में 4000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। कालोनाइजर राहुल यादव ने कोई ले-आउट भी पास नहीं कराया था। विकास प्राधिकरण द्वारा नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस दी गई लेकिन अवैध प्लाटिंग जारी रही। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को पुलिस बल के सहयोग से पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, सहायक अभियंता विनोद कुमार प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। (जासं)

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 09.10.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 2,33,995.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-4,01,31,418.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,68,487.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-3,20,29,105.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।

उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, श्रीमती वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे

8

जनवार्ता–दि0 09.10.2025

सारनाथ में विकसित होगा आईटीसी वेलकम पांच सितारा होटल

वाराणसी (जनवार्ता)। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सारनाथ में आईटीसी वेलकम समूह और सूर्या लक्जरी एंड हास्पिटेलिटी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पाँच सितारा होटल परियोजना का मानचित्र स्वीकृत कर दिया है। यह भूखंड संख्या 191/2, मंजारगंज, परगना शिवपुर, तहसील राजातालाब में यह परियोजना केवल पांच दिनों में तकनीकी परीक्षण और विभागीय अनापत्तियाँ पूरी होने के बाद अनुमोदित हुई। इस परियोजना में 4404 वर्ग मीटर भूमि पर 38.31 मीटर ऊँचाई वाला डबल बेसमेंट, भूतल और 09 मंजिलों वाला भवन प्रस्तावित है। इसमें 120 कमरे, बहुउद्देशीय हॉल, बच्चों का क्षेत्र, कॉफी शॉप, होटल कार्यालय, मुख्य रसोईघर, स्पा, बार और इन्फिनिटी स्विमिंग पूल शामिल हैं। इस भवन में 151 कार पार्किंग, वर्षा जल संचयन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा संरक्षण के लिए फोटोवोल्टाइक सौर पैनलों की व्यवस्था की जाएगी। यह परियोजना सारनाथ में आधुनिक होटल सुविधाओं के विकास, पर्यटन, रोजगार और नगरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 09.10.2025

पंजीकरण के अनापत्ति हेतु प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में होटल/लॉन/गेस्ट हाउस आदि के पंजीकरण के अनापत्ति हेतु प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गई । बैठक के दौरान सचिव महोदय द्वारा पंजीकरण से संबंधित पुराने एवं नये लम्बित आवेदनों के संदर्भ में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए-सर्वप्रथम प्रत्येक जोन द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों का एक पृथक रजिस्टर बना लिया जाए।आगामी एक माह में लम्बित समस्त प्रकरणों के प्रशन्गत भवन की वैधता के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित करते हुए स्थल निरीक्षण आदि कर आख्या/रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।उक्त बैठक में समस्त जोनल अधिकारी, संबंधित अवर अभियंता एवं पटल सहायकगण उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 09.10.2025

अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा की गयी, जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 08.10.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 2,33,995.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-4,01,31,418.00 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 22.09.2025 से दिनांक 30.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 12,68,487.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-3,20,29,105.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कायी के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री प्रकाश कुमार, अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, श्रीमती वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।